

REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT
OFFICE OF THE SUB REGISTRAR, KUMHER
KUMHER
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT

Fee Sr. No. : 2013000205 Dated : 05/02/2013
Presenter Name : E.O. NAGAR PALIKA KUMHER Face Value : 55900
Presenter Address : KUMHER
Document Type : Lease deed for local bodies (Patta)
Claimant Name : SHRI RATAN SINGH SHIKSHAN PRAKSHIKAN SANTHAN SEC. HARIOM, KUMHER
Document S.No. : 2013000387 Stamp Value : 0

Ordinary Registration Fee	: 560	Commission Fee	: 0
Conv/Scanning/Inspection Fee	: 300	Custody Fee	: 0
Fee for Memorandum u/s 64-67	: 0	Miscellaneous Fee	: 0
Certified Copying Fee u/s 57	: 0	Stamp Duty Cash	: 2800
Surcharge on Stamp Duty	: 280		
Late Fee u/s 25-34	: 0		

TOTAL : 3940

Amount Rs. Three Thousand Nine Hundred Forty only


Sub Registrar (KUMHER) 

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, कुम्हेर (भरतपुर)

नगर

(नगर निकाय का नाम)



राजस्थान नगरिय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुमति दी, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष के माह के दिन नगर पालिका मण्डल, कुम्हेर (विनंति जाति व्यवसाय निवासी गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इच्छादत में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अधे निकल, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुनाकिल अलैह भी सम्प्रिलित होंगे।) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के हारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के हारा स्वीकार कर ली गई और इसमें उल्लेखित शांति और करारों जो लीजधारक हारा निष्पादित तथा कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्थान के खसरा संख्या क्षेत्रफल एकड़ियों में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिये गये पूर्ण स्वायत्त्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शांति और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग उपभोग और इस्तेमाल के लिये अपने अधिकार में रखेगा अर्थात् :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरिय निर्धारण (शहरी जमाबंदी या भूमि का किराया) के तौर रूपये अंकेन पूर्णतया लाल रंग में लाल रंग में दिखाया गया है। और जिसे पूर्ण स्वायत्त्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शांति और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग उपभोग और इस्तेमाल के लिये अपने अधिकार में रखेगा अर्थात् :-
2. एक बार नियत किया गया नगरिय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात और विक्रय या दान या अन्यथा हारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधारी 99 वर्ष के लिये होगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल जिसके लिये नगर निकाय हारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गई के लिये किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें लीजधारक के हारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरिक या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शांति और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित अन्तरिक या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय हारा दिया गया है या अन्तरिम किया गया है लीजधारक हारा उप पट्टे की कालावधि स्वयं हारा अवधारित की जायेगी। किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप पट्टे उक्त नियमों में विहिप समस्त अन्य निबंधनों निमित विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिये नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत उक्त भूखण्ड के अन्तरिक के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिये नगर निकाय को आवेदन के साथ दस रूपये प्रति विक्रय विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें। प्रत्येक अन्तरण के लिये आवेदन के साथ दस रूपये प्रति विक्रय विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि को दुरभिसंधि या उसके यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि को दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन हारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शांतों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहित करेगा जो सभी प्रभारी शांति विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार / जीवन बीमा निगम / शिहयूल बैंक / सरकार प्राणदात्री संस्था/ एच.डी.एफ.सी अथवा नेशनल बैंक हारा अधिकृत के प्राणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के प्राण के लिये बंधक रखा जा सकेगा।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रेमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज आन्तरिक / बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्थ अधिनियम 1956 के अधीन भू-राजस्थ की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रेमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज आन्तरिक / बाह्य विकास प्रभारों की दर से अन्तरण फीस निष्पादन की जायेगी परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस खर्चमीटर की दर से अन्तरण फीस निष्पादन की जायेगी।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार / जीवन बीमा निगम / शिहयूल बैंक / सरकार प्राणदात्री संस्था/ एच.डी.एफ.सी अथवा नेशनल बैंक हारा अधिकृत के प्राणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के प्राण के लिये बंधक रखा जा सकेगा।

साक्षी का नाम.....
राजनव द्वारा.....
खस्ता भन्नर.....
सोशल का नाम.....
विस्तृत नाम सहित लेखफल बर्गाज/भीटा.....

पा. 46 अंडे पुरी परिवाप 45 नंगा
कोई हो..... सीमा ढारा.....
2 कु. 80 अंडा 1 पुरी मालांग ।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरोकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये ।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20..... के माह..... क..... वें

दिन श्री.....

.....ने निम्न की उपस्थिति में

(स्थान) हस्ताक्षर किये -

साक्षी :-

1 नाम..... अरुण गढ़वाल
पुत्र..... निजमामुद शिंदे
व्यवसाय..... लकड़ा बांधना
निवास स्थान..... नुझर

2 नाम..... राजेश भट्ट
पुत्र..... उमेश भट्ट
व्यवसाय..... बैंगन
निवास स्थान..... तुम्हारा

आज सन् 20..... के माह..... के

वें दिन को निम्न की उपस्थिति में उक्त श्री.....

लीजधारक द्वारा कार्यालय..... में हस्ताक्षर
किये गये -

1 साक्षी :-

नाम..... गुरु राज
पुत्र..... गोविंद
व्यवसाय..... नृप
निवास स्थान..... नुझर

2 नाम..... रमेश गग
पुत्र..... श्रीराम गग
व्यवसाय..... गोदान
निवास स्थान..... तुम्हारा

अध्यक्ष

नगरपालिका कुम्हर (भरतपुर)

नगरनिकाय - प्रथम पक्ष

(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी

राजेश भट्ट

साक्षी

लीज धारक - द्वितीय पक्ष

रमेश गग


साक्षी

साक्षी

अधिकारी अधिकारी

नगरपालिका कुम्हर (भरतपुर)

जल्ला भूमि रूपान्तरण पट्टोंहेतु राजीव श्री हरिहरन श्री रत्नसिंह द्वारा
प्रशिक्षण संस्थान कक्षोंकोहेरे जिला भरतपुर राज.



गोट - नृष्णु के गोपीनेत भूमि रूपान्तरण पट्टोंहेतु दराशाये गये हैं। १५५९० रुप.

चला.

संचिव

श्री रत्नसिंह शिल्प एवं प्रशिक्षण तंत्र
कुन्डेर (भरतपुर)

आमोदपुरा बाजार
२९-०१-२०१३
DRAWN BY

प्रस्तावना पत्र

पत्रों

शंगूला

Kumher

दख्ता भी/बीमती/सुभी (Executive)
1-E.O. NAGAR PALIKA KUMHERA
Age:0, Caste-
Ocu.-G
R/o-KUMHER

(And Claimant)
1-SHRI RATAN SINGH SHIKSHAN PRAKSHIKAN
SANTHAN SEC. HARIOM/AMAR SINGH
Age:0, Caste-JAT
Ocu.-G
R/o-KI/...../.....

ने लेसियपत्र Lease deed for local bodies (Patta) को पढ़ सुन ए सामाजिक निष्पादन करना रवीकार किया;
प्रतिफल राशी ₹० ६६९००/- पूर्व में / मेरे
साथा / गे रो ₹० ५५०००/- पूर्व गे
गमरे सामाजिक प्राप्त करना रवीकार किया।

सकत निष्पादन कर्ता को पत्राचान
1. श्री/ श्रीमती/ सुभी KRICHAN KUMAR
पत्र/ पत्री/ पत्नी ओ GIVIND SINGH उम्र ० वर्ष
जाति JAT व्यवसाय FARMER
निवासी KUMHER

2. श्री/ श्रीमती/ सुभी KHUMENDRA GARG
पुत्र/ पुत्री/ पत्नी ओ BHETARAM GARG उम्र ० वर्ष
जाति VAISHY व्यवसाय FARMER
निवासी KUMHER ने की हे जिनके

समरत प्रस्तावना एवं आगंठा के निशान मेरे समका लिये गये हैं।

(2013000307) एप पंजीयक, KUMHER.
(Lease deed for local bodies (Patta))

आम नियंत्रक ५ गांडी February माह 2013 को 10:29 बजे
श्री/ श्रीमती/ सभी E.O. NAGAR PALIKA KUMHER पत्र/ पत्री/ पत्नी श्री A
परम ० तब जाति _____ विवाह G
नियार्थी KUMHER
प्राप्ति प्राप्ति दरतादेज पंजीयन हेतु प्रत्युत किया;

(2013000387) दस्तावेज नं पंजीयन

दस्तावेज नं पंजीयन, KUMHER

(Lease deed for local bodies (Patta))

रजीनं नं 2013000205 नियंत्रक 05/02/2013
पंजीयन शुल्क रु 500/-
प्राप्ति शुल्क रु 300/-
प्रधार्कन शुल्क रु 0/-
अन्य शुल्क रु 0/-
कमी रटाम्य शुल्क रु 2600/-
कुल रोग रु 3940/-

(2013000387) दस्तावेज नं पंजीयन, KUMHER
(Lease deed for local bodies (Patta))

पारा 54 के लड्ठ पूराणा पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्री पत्र
की मालियत समये 66900
मानते हुए इस पर देग कमी मुद्राक
राशि 2800 पर कमी पंजीयन रखा
करोगे 500 तुल करोगे 3940
जिसे रसीद संख्या 2013000205 दिनांक 05/02/2013
में जमा किया गया है।
शहर नवताले ने करोगे 2800
के मुद्राकों पर निष्पादित माना जाता है।

(2013000387) उप पंजीयक, KUMHER
(lease deed for local bodies (Pattu))

आज दिनांक 05/02/2013 को
प्रस्ताक संख्या 1 जिल्द संख्या 405
में पहुँच संख्या 153 तुल संख्या 2013000320 पर
पंजीबद किया गया तथा अतिरिक्त^१
प्रस्ताक संख्या 1 जिल्द संख्या 1010
के पुर्व संख्या 13 से 15 पर
नम्बर लिया गया।

(2013000387) उप पंजीयक, KUMHER
(lease deed for local bodies (Pattu))